

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

दहेज हत्या से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.10.2020 को वादी मुकदमा श्री मोहित चौहन पुत्र मोतीलाल चौहान निवासी उत्तरगाँवा थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि मेरी भतीजी कविता को दहेज हेतु प्रताडित करना व दहेज न मिलने पर हत्या कर देने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.214/20 धारा - 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी पी एक्ट पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 01.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मु.अ.सं.214/20 धारा - 498ए ,304बी भादवि व 3/4 डी पी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लवटु चौहान पुत्र भोला चौहान निवासी आदमपुर थाना मुबारकपुर ,आजमगढ़ को अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम आदमपुर समय 07.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं.214/20 धारा - 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी पी एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

लवटु चौहान पुत्र भोला चौहान निवासी आदमपुर थाना मुबारकपुर ,आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

SHO अखिलेश कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 प्रमोद यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 उपेन्द्र यादव , थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 आफताब खान थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

मवेशी की बात को लेकर अभियुक्त द्वारा जयराम पुत्र स्व0 सतई सा0 देवारा त्रिपुरारपुरआयमा थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ के भाई हरिराम को गाली गुप्ता देते हुए दौड़ाकर घर में घुसकर लाठी डण्डे से बुरी तरह मारने पीटने लगा , जिससे हरिराम का मौके पर बेहोश हो गये व बीच बचाव करने आने जयराम व उसके भाई श्रीराम व जयराम के लड़के इन्द्रजीत को भी मारा पीटा। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 224/20 धारा 147, 149, 323, 352, 452,308, 504 भादवि पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2020 को उ0नि0 मय हमराहीगण के साथ थाना से रवाना होकर तलाश

वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 224/20 धारा 147 , 149, 323, 352, 452,308,504 IPC में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रामलखन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर विवेचक मय हमराहियान के मौके पर पहुँचकर देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा है , एकबारगी दबिश देकर घेर कर पकड़ लिया गया , पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रामलखन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया, अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0 224/20 धारा 147 , 149, 323, 352, 452,308, 504 IPC का अपराध बताकर समय करीब 11.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त रामलखन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पूछने पर जूर्म स्वीकार करते बता रहा है कि दिनांक 27.10.20 समय 09.00 बजे रातमेंनेंजयराम के भाई हरिराम को गाली गुप्ता देते हुए दौड़ाकर घर में घुसकर लाठी डण्डे से बुरी तरह मारा पीटा , जिससे हरिराम का मौके पर बेहोश हो गया व बीच बचाव करने आने जयराम व उसके भाई श्रीराम व वादी के लड़के इन्द्रजीत को भी मारा पीटा।

पंजीकृत अभियोग-

224/20 धारा 147, 149, 323, 352, 452,308, 504 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामलखन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे, उ0नि0 हौसिला सिंह, हे0का0 उमाकान्त यादव, हे0का0 रमेश कुमार, का0 राकेश यादव, का0 रामशरन

थाना- महाराजगंज

मडयी फूँकने के आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 31/10/2020 को दिन के लगभग 08.30 बजे अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के मडयी को फूँक देना जिससे मडयी में रखा सारा समान व 60000 रु व07 थान जेवर जल जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 225/2020 धारा 147, 436 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण- वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2020 को उ0नि0 हौसिला सिंह मय हमराहीगण के साथ थाना से खाना होकर तलाश वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 225/2020 धारा 147 , 436 IPC में मामूर थे कि मुखबिर खास ने बताया कि मुकदमा मु0अ0सं0 225/20 धारा 147 ,436 IPC से संबंधित आरोपीगण चन्दू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामराज व दुर्गेश पुत्र रामराज सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ , चिकनहवा ढाला पर मौजूद हैं सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 हौसिला सिंह मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते चिकनहवा ढाला के पास आये जहाँ पर दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस द्वारा खड़े व्यक्तियों को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः चन्दू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामराज व दुर्गेश पुत्र रामराज सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताये, पकड़े गये व्यक्तियों को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

3. पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण चन्दू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामराज व दुर्गेश पुत्र रामराज सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पूछने पर जूर्म स्वीकार करते हुए बता रहे हैं कि दिनांक 31/10/2020 को दिन के लगभग 08.30 बजे हम लोग एक राय होकर वादी के मडयी को फूँक दिये जिससे मडयी में रखा सारा समान व 60000 रु तथा 07 थान जेवर जल गया

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 225/20 धारा 147, 436 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. चन्दू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामराज
2. दुर्गेश पुत्र रामराज साकिनान महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे, उ0नि0 हौसिला सिंह, हे0का0 उमाकान्त यादव, हे0का0 रमेश कुमार, का0 राकेश यादव, का0 रामशरन

थाना पवई

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देश पर थाना प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली की मु0अ0सं0 170/20 धारा 498A, 304B, भादवि व 3/4 DPACT से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रणजीत उर्फ राजू पुत्र रामसजीवन उर्फ रामू 2. रामसजीवन उर्फ रामू पुत्र झिनकू बलुआ तिराहे पर कही जाने के फिराक में खड़े हैं इस सूचना पर विश्वास कर मुखबीर को साथ लेकर बलुआ तिराहे पर पहुंचे कि मुखबीर खास तिराहे पर खड़े दो व्यक्तियों की ओर इशारा कर के हट बढ गया कि पुलिस को तिराहे के तरफ आते देख दोनो व्यक्तियों ने भाना चाहे कि पुलिस द्वारा हिंमत अमली से भागते हुए व्यक्तियों को 20 से 25 कदम जाते जाते पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम 1. रणजीत उर्फ राजू पुत्र रामसजीवन उर्फ रामू 2. रामसजीवन उर्फ रामू पुत्र झिनकू निवासी खुरचन्दा थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताये जिनको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 170/20 धारा 498A, 304B, भादवि व 3/4 DPACT थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. रणजीत उर्फ राजू पुत्र रामसजीवन उर्फ रामू निवासी खुरचन्दा थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. रामसजीवन उर्फ रामू पुत्र झिनकू निवासी खुरचन्दा थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार सरोज
2. का0 उपेन्द्र यादव
3. का0 अतिकुल्ला खाँ

थाना अतरौलिया

मारपीट में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने कि नियत से लाठी, डंडे, टांगी से वार करना व गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देना जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/2020 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देश पर उ0नि0 शनि थापा मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 154/2020 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि से सम्बंधित वांछित अभियुक्तगण 1. शिवम पाण्डेय पुत्र बजरंगी पाण्डेय उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम सूखीपुर (पाण्डेय का पूरा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. बजरंगी पाण्डेय पुत्र संत कुमार पाण्डेय उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम सूखीपुर (पाण्डेय का पूरा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 01/11/2020 को समय 07.20 पर गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 154/2020 धारा 147/148/323/307/504/506 IPC

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. शिवम पाण्डेय पुत्र बजरंगी पाण्डेय उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम सूखीपुर (पाण्डेय का पूरा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. बजरंगी पाण्डेय पुत्र संत कुमार पाण्डेय उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम सूखीपुर (पाण्डेय का पूरा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शनि थापा
2. का0 रामाशीष प्रजापति
3. का0 विजय यादव